लघु उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था

685. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को समयबद्ध ढंग से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के लिए विपणन विकास कोष की स्थापना हेतु कोई व्यवस्था की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 लाख रुपये तक की कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा राशि वाली लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए उनकी अनुमानित वार्षिक कारोबार के कम से कम 20 प्रतिशत के हिसाब से लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी सीमा का प्रावधान करने हेतु बैंकों को 1993 में सलाह दी थी। अक्तूबर, 1993 में यह सीमा बढ़ाकर 1 करोड रुपया कर दी गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने प्रारंभ से ही एकल खिड़की योजना शुरू की है जिसके तहत उसके द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के लिए संयुक्त सहायता और कार्यशील पूंजी को लघु औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए उसी एजेंसी द्वारा बढ़ा दिया गया है। उक्त योजना एस०एफ० मी०, एस०आई०सी०सी० तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। उक्त योजना के कार्यक्षेत्र को समय-समय पर व्यापक बनाया जाता है। वर्तमान योजना के तहत, जिसे मार्च, 1994 में संशोधित किया गया है, लघु क्षेत्र में कुल 50 लाख रुपये परियोजना लागत वाली इकाइयां एकल खिड़की योजना (एस०डब्ल्यू०एस०) में शामिल की जा सकती हैं। (पहले यह राशि 30 लाख रुपये थी जिसमें परियोजना लागत 20 लाख रुपये और अपेक्षित कार्यशील पूंजी 10 लाख रुपये तक थी)

भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए विभिन्न पहलुओं पर वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ऋण के वितरण में देरी न हो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को आवेदनों के निपटान की समय सीमा का पालन करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं। जबकि 25000 रु० तक की ऋण राशि के आवेदनों का निपटान एक पखवाड़े के भीतर होने चाहिए, किन्तु 25000 रु० से अधिक ऋण के आवेदनों का निपटान आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से 8 से 9 सप्ताह के भीतर किया जाये। सीमा में वृद्धि के आवेदनो पर शीघ्रता से विचार किया जाए और उन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए जो किसी भी स्थिति मे 6 सप्ताह से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(ग) लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोई अलग से विपणन विकास निधि नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय ने पहले ही विपणन विकास सहायता पर एक ऐसी योजना चलाई हुई है जो उक्त योजना के तहत लघु औद्योगिक इकाइयों को समान लाभ प्रदान करता है।

Indigenous manufacture of 150 MW gas turbine by BHEL

686. SHRI K. M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the country's first highest capacity gas turbine of 150 megawatt ISO rating has been manufactured indigenously by BHEL;

(b) if so, the special features of this achievement with the estimated cost;

(c) whether this highest capacity gas turbine has been made available to some foreign country;

(d) if so, the details thereof with terms and conditions;

(e) whether Government propose to reward suitably the officials of BHEL for this unique achievement;

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(g) whether Government propose to ask other Public Sector Undertakings to make similar achievements in their respective fields in future; and

(h) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) Siemens-Germany, an internationally renowned company, has placed an order on BHEL for three Gas Turbine of 150 MW rating. The first Turbine against the order has been manufactured at Hardwar Plant of BHEL and despatched on 9th February, 1995 to Kandla port for onward shipment. The special features are as under:

1. State of Art technology
2. High efficiency
3. Fuel flexibility
4. Quick start-up and fast loading
5. Heavy weight-approx. 200 Tons.

It is not in the commercial interest of BHEL to reveal the cost and terms and conditions.

(e) and (f) BHEL officials would be rewarded in accordance with the Plant Performance Payment Scheme.

(g) and (h) It has been the endeavour of the PSUs to make better achievements in their respective fields

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का विकास

687. **श्री ईश दत्त यादव :**

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास हेतु कोई आर्थिक उपाय नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश में 70 विकास केन्द्र स्थापित करने की एक योजना की घोषणा जून, 1988 में की। इन केन्द्रों की बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, बैंकिंग और दूर-संचार आदि मुहैया किये जायेंगे ताकि उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, पहाड़ी क्षेत्रों, दूर-दराज व दुर्गम क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और इन क्षेत्रों में उच्च परिवहन लागत हेतु औद्योगिक एककों को राज-सहायता देने के लिए सरकार ने एक परिवहन राजसहायता योजना शुरू की है। जिसका 1971 से कार्यान्वयन हो रहा है। इस योजना के तहत, इन क्षेत्रों की ढुलाई किये गये कच्चे माल की परिवहन लागत तथा इन क्षेत्रों से तैयार माल को बाहर भेजने हेतु 50 से 90 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाती है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 169 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं।

Employment provided under PM's Rozgar Yojana

688. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of employment given to the educated unemployed youth who come from the economically weaker sections of the society, under the Prime